CNR No.UPFR010000342026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, फर्रुखाबाद।

आपराधिक अपील सं०–01/2026

श्रीमती जया उर्फ सोनाली गुप्ता बनाम उ०प्र०राज्य एवं 05 अन्य

10.08.2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा आज प्रार्थना पत्र का०स० 18 ए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अपीलार्थी एवं विपक्षी के मध्य सुलह समझौता हो चुका है। परिवार न्यायालय में हिन्दू विवाह अधि० की धारा 13 बी के तहत वाद भी संस्थित हो गया है। अपीलार्थी अब इस अपील पर कोई बल नहीं देना चाहती है, अनुरोध किया कि उक्त अपील को बल न देने के आधार पर समाप्त कर दिया जाए।

सुना। चूंकि अपीलार्थी स्वयं ही अपील पर बल नहीं देना चाहती है और इस आशय का प्रा०पत्र का०स० 18 ए भी प्रस्तुत किया गया है, अतएव ऐसी स्थिति में उपरोक्त आपराधिक अपील बल न दिये जाने के आधार पर निरस्त होने योग्य है।

आदेश

बल न दिये जाने के कारण अपील निरस्त की जाती है।

दिनांकः 10..08.2026

(**नीरज कुमार**)
सत्र न्यायाधीश, फर्रुखाबाद।
JO Code–UP1907

Digitally signed by NEERAJ KUMAR
Date: 2026.08.10 16:27:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court